

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद-आजमगढ़ की 37 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4278/06/10/छ:/विविध/12-13, दिनांक 08.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना-योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-आजमगढ़ की न0पं0 माहुल की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 37 परियोजनाओं हेतु रू0 539.79 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 269.895 लाख (रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख नवासी हजार पाँच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

क्रमशः.....2

27/12
5.40pm

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं से सम्बन्धित आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008, दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।


15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 8541/2016/2754(1)/69-1-16, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकंदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आजमगढ़।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।


आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण	परियोजना की कुल लागत	प्रथम किश्त (५० प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	आजमगढ़	न०पं० माहुल	वार्ड नं० ०४ मो० चकदाउशाह में माहुल अहरौला रोड से घनश्याम सेठ के घर व मस्जिद होते हुये शाह आलम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	24.82	12.41
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०४ मो० चकदाउशाह में माहुल अहरौला रोड से अशरफ क्लथ स्टोर व सरफुद्दीन के घर होते हुये मस्जिद तक इण्टरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	21.73	10.865
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ११ में सोमारी बाजार पठान मुहल्ला में पुरानी मस्जिद के बगल में इकबाल अहमद के घर व अहमद चिल्ड्रेन स्कूल होते हुये सफीक अहमद खां के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.37	5.685
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं० १० मु० चक मुजफ्फर में बसन्त लाल गुप्ता के मकान से नूर आलम के घर तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	31.67	15.835
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०४ के मु० चकदाउशाह शाह पवई रोड में मुहल्ला तोप खाना रोड से मस्जिद होते हुये रामचेत यादव के घर तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	22.63	11.315
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०४ के मु० घोषीपाठ में सुहाग ज्वैलर्स से रियाकत अली के मकान होते हुये घोषरी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	31.66	15.83
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०९ मु० कसाईटोला के दफलाना में नेसार कुरैशी के मकान होते हुये जमशेद कुरैशी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.10	4.55
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०९ मु० कसाईटोला दफलाना में नेसार के घर से अब्दुबकर के घर होते हुये मस्जिद से विस्मिल्लाह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	18.15	9.075
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०४ मु० चकदाउशाह के कुरैशी में मजार से मास्टर व मोती कुरैशी के मकान होते हुये इलियास कुरैशी के घर से घूम कर मजार तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	13.62	6.81
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०४ मु० चकदाउशाह कुरैशी में मोती कुरैशी के मकान से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	4.57	2.285
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०९ मु० कसाई टोला में दुर्गा मन्दिर से नूर अहमद के	11.80	5.90

			मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।		
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 07 मो० मोतीपैर में हाकीम फैयाज के मकान से आर०सी०सी० रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	10.50	.25
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 07 मो० मोतीपैर में उस्मान के मकान से भुटु शाह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	22.65	11.325
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 07 मो० मोतीपैर में मदरसा स्कूल से वादशाह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	13.08	6.54
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 07 मो० मोतीपैर में आर०सी०सी० रोड से कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	7.38	3.69
16	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 04 मो० चकटाउदशाह में पी०डब्ल्यूडी० रोड से अब्बास के मकान होते हुये सी०सी० रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	14.52	7.26
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-06 मो० खटिकाना के तेलियाना में डा० शताहु के मकान से प्रकाश जयसवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	4.57	2.285
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मो० ऊचवा में बचनू मौर्या के मकान से अब्दुल्ला के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	6.16	3.08
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मो० ऊचवा में तैयब के मकान से मस्जिद होते हुये प्राइमरी पाठशाला तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	9.61	4.805
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मो० ऊचवा में निसवाँ स्कूल से गणकार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	3.54	1.77
21	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मो० ऊचवा में मस्जिद से इमाम बाड़ा तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	6.15	3.075
22	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मो० ऊचवा में मन्जर के मकान से रौजा तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	3.51	1.755
23	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मो० ऊचवा में दिलशाद के मकान से पुलिया होते हुये पोखरी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	5.28	2.64
24	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मो० ऊचवा में मस्जिद से जहीद के मकान होते हुये रुखसाना रिजवी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	17.43	8.715
25	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मो० ऊचवा में रफीक खान के मकान से जुम्मन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	8.08	4.04
26	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मो० ऊचवा में राजा के मकान से रसीद खान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	7.30	3.65
27	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मो० ऊचवा में खान चौक से स्वास्थ्य केन्द्र होते हुये	91.57	45.785

			कुरैशी चौक तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।		
28	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 10 मो० चक मुजफ्फर में दिलशाद के मकान से इमाम वाड़ा होते हुये निशार कुरैशी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	12.70	6.35
29	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 10 मो० चक मुजफ्फर में समीम टेलर के मकान से अल्ताफ कुरैशी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	5.66	2.83
30	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 10 मो० चक मुजफ्फर में रामबाबू के मकान से इलियाश कुरैशी के मकान होते हुये फूलचन्द अग्रहरी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	8.18	4.09
31	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 09 मु० कसाईटोला में रमा तुल्ला खान के मकान से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	17.44	8.72
32	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 मु० गौसपुर में हरी विश्वकर्मा के मकान से बेयाज आरीफ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	7.28	3.64
33	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 मु० गौसपुर में हबीब के मकान से समीम खान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	10.51	5.255
34	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 मु० गौसपुर में शाह आलम के मकान से हबीब के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	17.43	8.715
35	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 मु० गौसपुर में सरकारी गोदाम से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	6.15	3.075
36	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मु० ऊचवां में सुलेमान के मकान से सोहराब खान के कारखाने तक (सैनवारीवाजपुर) तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	4.57	2.285
37	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 मु० ऊचवां हाशमी मो० रफी मन्जिल के मकान से मंडई तक मस्जिद होते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से नहोदरा स्कूल होते हुये खान चौक नाले तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	17.42	8.71
योग				539.79	269.895

(रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख नवासी हजार पाँच सौ मात्र)।


 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।